

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

तिथि - २३/०१/२०१६

प्रकरण क्र. ....

198

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वावट्।

पक्षकार -

श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम  
निवासी ग्राम डुगरिया थाना बरगी जिला जबलपुर।

विरुद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर  
2. श्री मोनेश भूरा पिता टी.सी.भूरा  
निवासी 373 गोलबाजार, तहसील व जिला जबलपुर।

### अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1-

माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 05/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दि 20/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत् यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2-


यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम निवासी ग्राम ग्राम डुगरिया थाना बरगी जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पड़रिया प. ह.नं. 48/63(बरबटी) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 128, 129 रकवा क्रमशः 0.750, 1.110हे. कुल रकवा 1.86हे. भूमि अनावेदक और आदिवासी श्री मोनेश भूरा पिता श्री टी.सी.भूरा निवासी 373 गोलबाजार, तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2015 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

धारा 50 के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 20/06/2016 (Annexure-1) में तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 21/03/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत कुल 4.56 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है।

आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 28/03/2016 (Annexure-4) के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर को अग्रेषित किया गया है।

रमेश



N  
CON

11

R  
JSC

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, भवालियर**

प्रकरण क्रमांक - निग0 2371-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-7-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20-6-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्के पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पड़िया प0ह0नं0 128, 129 रकबा क्रमांक: 0.750, 1.110 कुल रकबा 1.860 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री मोनेश भूरा को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के बताए गए कारण को समाधान कारक नहीं</p>	(M)

✓

प्राप्ति - २३७। - I/16 (संग्रह)

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अधिभाषकों अ  
हस्ताक्षर

XXXIX(a)

मानते हुए निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा जो आधार आवेदन को निरस्त करने के लिए दिए हैं वे विधिसम्मत नहीं हैं। उनके द्वारा कहा गया कि विकाय की जा रही भूमि उनकी निजी भूमि है। कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा केवल इस आधार पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विकाय की अनुमति नहीं दी गई है कि आवेदक आदिम जनजाति सदस्य है और शासकीय योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर बोरिंग करा सकता है। कलेक्टर द्वारा दर्शाया गया कारण समाधानकारक नहीं है क्योंकि प्रथमतः कलेक्टर द्वारा स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया गया कि किस योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर बोरिंग कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवेदक के पास पर्याप्त भूमि है वह बिना किसी सहायता के बोरिंग कराकर कृषि करना चाहता है। अतः अनुदान लेने के लिए उसे विवश किया जाना वैधानिक एवं व्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है। अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्य करने के उपरांत आई है। आवेदित भूमि कम असिंचित एवं एक फसली है। आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विकाय करना चाहता है। भूमि विकाय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित विकाय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है। उक्त

✓

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

-4-

प्रकरण क्रमांक - निग0 2371-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वार्तावाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.56 हेक्टर भूमि और शेष बचती है। दक्षित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित की ग्राम पड़िया प0ह0नं0 128, 129 एकबा कमशा: 0.750, 1.110 कुल एकबा 1.860 हेक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।</p> <p>पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>(एम0के0 सिंह)</i> सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर</p> <p><i>P/S</i></p>	